

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:17 PM

Fee Receipt No	: 201902063003884	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA, JODHPUR,	Document S. No.	: 201901063004059
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32883200 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6554
17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम में खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ज्ञात रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकतर 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती का उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ ब्रिजरीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या दक्षिणत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्विप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखरबुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नं. 9.5
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
158.78 = 50.149

सीमा पूर्व P.No. 230 सीमा पश्चिम P.No. 250

सीमा उत्तर P.No. 234 सीमा दक्षिण P.No. 236 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 235

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

Sh
उपस्थित निकाय प्रमुख पक्ष
जोधपुर निकाय के अधिकारी एवं मोहर
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यकारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यकारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर-
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकमउद्वेज लक्ष्मी आर्ट
निवास स्थान 23/SE-7 जी.एम.सी. सन्तुसिम बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:11 PM

Fee Receipt No	: 201902063003881	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA, JODHPUR,	Document S. No.	: 201901063004056
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 32863188 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6535

4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुकदमा अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नांकित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसके इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व नाम **तुनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50' x 50' 6" 3/4** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वाभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन सरीसदर अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिले नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा **प्राप्तिक** अंक **12/54480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कानूनी स्थिति स्वयं द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कानूनी स्थिति से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जाहिर किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रमादित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या भ्राज, अन्तरित/वाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उत्संघन में कण्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : त. 11.9.51
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15'x30' = 50'00

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 349
सीमा उत्तर P.No. 235 सीमा दक्षिण Road 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 236

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 महीने के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश त्रिश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
उपनियुक्त निकाय पक्ष
नियुक्त अधिकारी के अवधि (अध्यापक)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यकार द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Sw
सौजन्यकार - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान अफिसर जय इन्फाटेक प्रा. लि.
15, दधीनति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कनू नाथ मोदी
निवास स्थान सुभाष नगर, जोधपुर
जोधपुर नगरपालिका, जोधपुर

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 2:26 PM

Fee Receipt No	: 201902063003854	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD., TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004029
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863186 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt


SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6536

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद तीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो तीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो तीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा तीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50.19 घ. मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वच्छों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् -

1. तीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रिल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 12/- 59/- 48/- अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु तीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप तीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विद्रव्य या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, तीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. तीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। तीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्पक आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु तीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुशय्य प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या स्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में तीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुबिधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से सहित नगर निकाय में गिहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दधीमति
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विलसुत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 00

सीमा पूर्व P.No. 237 सीमा पश्चिम Road 30'

सीमा उत्तर Road 30' सीमा दक्षिण P.No. 247 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 248

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश तिलगोर्ड
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण),
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
नोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम L.D.
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्क. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम मनितिन मोदी
व्यवसाय जगत नाथ मोदी
निवास स्थान पुनर्जात लक्ष्मी आर्ट
235657 लक्ष्मी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:06 PM

Fee Receipt No	: 201902063003880	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA, JODHPUR,	Document S. No.	: 201901063004055
Address	: ---		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 32803153 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6557
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जारी निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता मुख श्री सुनवत्तराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावाडा** के ससरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.00 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (हाली जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **पाँच सौ अठारह हजार चार सौ पचास** अर्थात् **5,88,400/-** मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (हाली जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदान के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अनारण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बंध दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सज्जित/सहित फिजिकल विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या न्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसालि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नगर 31
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विलसुत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.40

सीमा पूर्व P.No. 931 सीमा पश्चिम Road 30'

सीमा उत्तर P.No. 950 सीमा दक्षिण Road 30' मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 249

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
उपायुक्त (दाक्षण)
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम गिरिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकस्ट्रेट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 4:56 PM

Fee Receipt No	: 201902063003878	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA, JODHPUR,	Document S. No.	: 201901063004053
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 32863131 ₹ 245

- Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR
रूप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6558
11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद तीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहां कहीं प्रश्न से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तरदायित्व, निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और गुन्ताफिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो तीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो तीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा तीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और तीज करती है जो योजना

कें ससरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में खाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन सखीरदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. तीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु तीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप तीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बद्ध दी जावे, तीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. तीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। तीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीरा निशिता की जायेगी; परन्तु तीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या स्वाज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में तीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्तिबंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं है उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : न.न. ५३३
खसरा नम्बर : १७७
योजना का नाम :
विलुप्त नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
१५' x ३०' = ५०' ६०

सीमा पूर्व P.No. २३५ सीमा पश्चिम R.O. ३०१

सीमा उत्तर P.No. २५१ सीमा दक्षिण P.No. २५९ मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. २५०

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् २० माह के ०५/०७/२०१९ वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वादे
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और जोधपुर)

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् २० के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्य द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्य - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विकास शर्मा
व्यवसाय रि. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा. लि.
- नाम गतिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकस्टेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान २३/SFS-7 घोषासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 4:51 PM

Fee Receipt No	: 201902063003877	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA,	Document S. No.	: 201901053004052
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863255 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6559

7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

परिये निदेशात् श्री **प्रमोद मेहता पुत्र श्री हनवतराज**

व्यवसाय निवासी **बरवारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यार्थित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के पूरा में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावरा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.40 H.T.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन रखीवदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 24 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अके **44/- Sq. yard** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यापारिक, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, सहायक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खदब द्वारा अध्यागत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविवेचि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहयुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास मवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : 411/35
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सड़ित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15/230' = 50.10

सीमा पूर्व P.No. 234 सीमा पश्चिम Road 30'

सीमा उत्तर P.No. 252 सीमा दक्षिण P.No. 250 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 251

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरसोई
R.A.S.
निम्न धी उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिर्वाह (द.दाग)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LD S
पिता/पति का नाम 30A
व्यवसाय
निवास स्थान

DL
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटिक प्र.लि.
निवास स्थान 15, दधीभति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

10/07/2019
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम मितीन मोदी
व्यवसाय रामलाल मोदी
निवास स्थान एकसठहत्त सखरीय आर्ट
23/SFS-7 चौगासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

10/07/2019
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 4:46 PM

Fee Receipt No	: 201902063003875	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: JDA,	Document S. No.	: 201901063004050
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863081 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6560
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

जयदासराय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अनेक भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तब धारण किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

राजस्थान ग्राम **तननाड़ा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50' 40** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थायित्व संबंधी स्थायी सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अर्के **11/-** **39.48** मात्र पेसागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्गति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गति किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या विनंती पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्गति के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिरिक्त किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनायडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 20' = 50' 00'

सीमा पूर्व P.No. 233 सीमा पश्चिम P.No. 301

सीमा उत्तर P.No. 253 सीमा दक्षिण P.No. 251 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 252

इसके साक्षी के रूप में इसके करीबने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sh
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(सहम अधिकारि की हस्ताक्षर एवं पद)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम ODA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रम. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम मिनिम मोदी
पिता/पति का नाम कमलेश मोदी
व्यवसाय कमलेश मोदी आर्ट
निवास स्थान 23/550-7 जीतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6561
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से बेता अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और पुनर्निर्माण अलेह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सम्पादित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी प्रतीक नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति 211951

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 52.12 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में खाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/59400 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा को बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संतान के बाविल से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय/या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शाशित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण का ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविवेचि या उक्त के उल्लंघन में कम्पटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अविप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्ठित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एस.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : त-1931
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 00

सीमा पूर्व P.N.O. 232 सीमा पश्चिम P.N.O. 201

सीमा उत्तर P.N.O. 254 सीमा दक्षिण P.N.O. 252 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 253

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 24/07/2019... वें दिन
श्री ओम प्रकाश विजयोर
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (द.न.न.),
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दक्षिण नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 वीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6562
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.

जारी निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

पञ्चनाय निवासी सरदापुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वारात में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवित्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, को एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तना 1957 के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल को साथ इसके अन्तर्गत तिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में सात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का विभाजन) के तौर पर रुपये अंके सात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का विभाजन) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का विभाजन प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी गई है, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्लि या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या खज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभातों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्नियमिती या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 58.40

सीमा पूर्व P.N.O. 231 सीमा पश्चिम P.N.O. 230
सीमा उत्तर P.N.O. 255 सीमा दक्षिण P.N.O. 253 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 254

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विरनोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम LDL
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान जोधपुर नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकॉउंटेंट लहरीय ऑर्ट
निवास स्थान 23/3F-3-7 घोषासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6563
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जारीये निर्देशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उक्तप्राधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादिता हुआ है।

यह विलेख सावधानीपूर्वक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नादिता तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को अधीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में का ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा कर्तव्यी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्तव्यी गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के कलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निर्धारण द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रनासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्गतिबंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन, नू-राजस्व (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्पे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनोवड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 33' = 50' 10

सीमा पूर्व P.No. 230 सीमा पश्चिम P.No. 30'

सीमा उत्तर P.No. 956 सीमा दक्षिण P.No. 254 मार्गचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 255

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारोंखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 नें दिन
श्री ओम प्रकाश विजोई
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SM
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के — नें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री —
लोकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति, तनोवड़ा, मददासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम निखिल मोदी
पिता/पति का नाम रमल नाथ मोदी
व्यवसाय स्काउटेर लहर सिंह आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग कोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूपी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:01 PM

Fee Receipt No. : 202002063000188	Receipt Date : 14/01/2020
Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MENTA,	Document S. No. : 202001063000182
Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR	
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent	
Face Value : ₹ 159	Evaluated Value : ₹ 109350

Ord-Registration Fee : ₹ 5	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSI : ₹ 200	Certified copying fees Us_57 : ₹ 0
Stamp (Memorandum) : ₹	Reg (memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 8	Stamp Duty : ₹ 40
Penalty : ₹ 10	Inspection fee : ₹ 0
Us_25_34 : ₹ 0	Commission : ₹ 0
Cuebody : ₹	Others : ₹ 0
	Cash Amount Received : ₹ 0
	Other than Cash : ₹ 266
	Total Amount : ₹ 266

Mode of Payment (MMode Number Amount #)
e-Gras Chalan 36007704 ₹ 10 # e-Gras Chalan 34862431 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

**SUB-REGISTRAR
उप मनीषक, लूनी**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6564
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

ज्यादातर निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहां कहीं प्रसंग से बैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह की सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकत्र में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तुनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.60** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विरोध रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **पाँच** अंके **11/-** के अन्तर्गत मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करती जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के अठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विधित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षवेग प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरभिराधि या उसके उत्पन्नन में कथपूर्ण दस्तावेज के आधार पर **पट्टा विलेख** द्वारा अभिप्राप्त किया गया **पट्टा विलेख** के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्पत्ति निर्माण सहित उसे प्रतिस्थापित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ह बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दुनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' x 30'

सीमा पूर्व P.No. 259 सीमा पश्चिम P.No. 301

सीमा उत्तर P.No. 257 सीमा दक्षिण P.No. 355 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 256

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरनोई
P.S.
निम्न कौ उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम IDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित कौ उपस्थिति में उक्त श्री
लीनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीनधारक -

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एजेंट लक्ष्मी आर्ट
निवास स्थान 2037 न. क. व. लक्ष्मी लक्ष्मी मोर्डा, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:45 PM

Fee Receipt No.	: 202001063000171	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000166
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord. Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_34_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (if Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 34562010 ₹ 11 # e-Gras Chalan 38007795 ₹ 10 # e-Gras Chalan 33129583 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6565
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

परिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति
व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीयत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तेनावडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 67.13 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कतारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिले नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर रूपये वार्षिक अंके 11/- 85.44 के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विच्छेद या दान या अन्वधा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्राथमिक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी वृद्धि आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी की दुरनिराधि या उसके उत्प्लानन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अर्जित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काचित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा दिलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : 271831
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 31' = 50.60

सीमा पूर्व P.No. 228 सीमा पश्चिम R.O. 20'

सीमा उत्तर P.No. 258 सीमा दक्षिण P.No. 256 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 257

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - डिप्टी

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फास्टेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, मयीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउण्टेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFG-7 चौकसनी लउसिंग रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:56 PM

Fee Receipt No : 202002063000176 Receipt Date : 14/01/2020
Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. Document S. No. : 202001063000169
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPIUR, JODHPIUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CS:	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Ges Chalan 38007844 # 10 # e-Ges Chalan 33128406 # 245 # e-Ges Chalan 34562090 # 11

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
रजिस्ट्रार, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6566
११/११



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डर प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुर, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वेश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कवचों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घान ११/११

के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कवचों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (हाथी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेहगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक करीब नगरीय निर्धारण (हाथी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निरस्त किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विग्रह या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समग्र नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यादेश की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्टक आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वहीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई हकका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की पुरविसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ह बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : 27/9/31
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
154.38 = 58.60

सीमा पूर्व P.No. 227 सीमा पश्चिम P.No. 30

सीमा उत्तर P.No. 259 सीमा दक्षिण P.No. 257 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 258

इसके साक्षी के रूप में इसके करीकोप ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 07/07/2019 माह के 07/07/2019 वें दिन
श्री प्रकाश विरानो
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

प्रकाश विरानो (दायाँ)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 07/07/2019 सन् 20 07/07/2019 के माह 07/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक

साक्षी :-

- नाम पिछाण शर्मा
पिता/पति का नाम रम. राज राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदमासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम विजय मोदी
पिता/पति का नाम मानव नथ मोदी
व्यवसाय एकडेटेड लहरीय आई
निवास स्थान 23/SFS-7 बीपासनी हस्तसिग बीड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

नगर पञ्जीयक, लूणा

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:01 PM

Fee Receipt No	: 202002063000178	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000171
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR,		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Dtd-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹ 0
C&I	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 40
Surcharge	: ₹ 9	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 266
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (if Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 36307893 ₹ 10 # e-Gras Challan 33135290 ₹ 245 # e-Gras Challan 34578993 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for
copy or Search Certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप चीफ़ीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6567
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र सेहता पुत्र श्री हनवंतराज

ज्यवसाय निवासी **सुरनगरपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घान **1/1/19** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **500.00** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत दिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्तेयों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **111.54** अंके **111.54** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के समित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समान नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सबरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं धृक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, प्रसिद्ध होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या न्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह प्रया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख **विधि की पूर्णसिंधि** या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर **दस्तावेज** द्वारा अनिर्वात किया गया **उप-पट्टा** विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिशुद्ध करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन सीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : त नरिडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : 177
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्मभौतर : 15830 = 50.00

सीमा पूर्व P.No-226 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-260 सीमा दक्षिण P.No-258 मानचित्र संस्तान है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 259

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 में दिन
श्री ओम प्रकाश विस्तार
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर
उपस्थित (दस्तावेज)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(संयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
में दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय रत. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीयति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकलव्य लहरीय आर्ट
22/SFS-7 कोवासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:50 PM

Fee Receipt No	: 202002063000173	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000165
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Ges Chalan 36008523 # 10 # e-Ges Chalan 33120178 # 245 # e-Ges Chalan 34501719 # 11

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cathier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6568
17/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्ता में जहां ग्राही प्रसंग से देसा अर्ब निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **177** के खराब संख्या क्षेत्रफल **50 व. 20** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **वार्षिक** अंके **11/- 50,450** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिष्करण सहित, अप्रतिरी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या दसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्वक हस्तक्षेप के आधार पर दुर्धर्मदर्शन हो, अभिप्राय किया गया है कि आवंटन या पट्टा विलेख के

उपपंजीयक, लूणा

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित सम्पत्ति जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान : तारावाडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर :
15X30 = 50.00

सीमा पूर्व P.No-225 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर P.No-361 सीमा दक्षिण P.No-259 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 260

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(जोधपुर विकास प्राधिकरण)
(सकल अधिकारों के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक [Signature]

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निहन मोदी
पिता/पति का नाम उमा स्व. मोदी
व्यवसाय एम्प्लॉयेड सहायक-आर्ट
निवास स्थान 23/34/37-दधीमती हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
उप प्रजीयक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:34 PM

Fee Receipt No	: 202002063000169	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000163
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
C-SI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 40
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 256
		Other than Cash	: ₹ 256
		Total Amount	: ₹ 256

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 33139045 ₹ 245 # e-Gra Chalan 34581608 ₹ 11 # e-Gra Chalan 35007766 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
सब रजिस्ट्रार, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6569

7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति
व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह की सम्मिलित होने के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर दी गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **177/25** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.58** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खसिददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अंके **11/- 59.48** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्लिखित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टे पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अस्थापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाय कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिराधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्भिराधि द्वारा अभिप्राय किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के उप पंजीयक, **सुप्री** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी रसनिर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धपूत बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तारावाड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर
[TSX30 = 50.00]

सीमा पूर्व P.No-234 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-262 सीमा दक्षिण P.No-260 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड का संख्या यदि कोई हो 361

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2009 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विष्णोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिर्वाह (विकास) पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कपत नाथ मोदी
निवास स्थान एकस्टेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपत्तनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर
उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:36 PM

Fee Receipt No	: 202002063000154	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MENTA, 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR	Document S. No.	: 202001063000178
Address			
Document Type	Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Out-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 9	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (RMode Number Amount #)

e-Gra Chalan 3500221 ₹ 10 # e-Gra Chalan 3312878 ₹ 245 # e-Gra Chalan 3456156 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Custodian

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
श्री प्रजापति, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6570
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं वी सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा से जहां कहीं प्रमाण से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) को मान्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यंकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीयत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लात पंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, प्रयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर रूपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिणी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिणी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दत्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या न्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगति का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिस्रि या उसके उत्पत्तिन में कथपपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्भावपदेशन द्वारा निष्पादित किया गया है (अथवा आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 1 न 7
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 50

सीमा पूर्व P.N. 233 सीमा पश्चिम P.N. 301
सीमा उत्तर P.N. 263 सीमा दक्षिण P.N. 261 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 262

इसके साक्षी के रूप में इसके करीबने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 महीने के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिष्टनोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नरेश कुमार (प्रभु)
(खसरे प्रभुधारी के हस्ताक्षर अधिकारी)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम डा. A
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकालटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:38 PM

Fee Receipt No	: 202001063000201	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000201
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (If Mode Number Amount(₹))
e-Gra Challer 33128655 ₹ 245 # e-Gra Challer 34561472 ₹ 11 # e-Gra Challer 36006206 ₹ 10.

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR,
सुप. म. स. अधिक, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6571
417/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

परिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेड़ता पुत्र श्री हर्नवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तमानड़ा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50 वर्ग फीट** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सड़ित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रिल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये **111/-** अके **5948** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरसिय नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दाख या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विक्षण का शायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के क्रय के 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि स्वयं द्वारा अवधिति की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परतदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगती का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के द्वारा दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **राजपंजीयक, तूफा** (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभासों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 177
 खेजना का नाम :
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 50

सीमा पूर्व P.N. 222 सीमा पश्चिम ROAD 30
 सीमा उत्तर P.N. 264 सीमा दक्षिण P.N. 262 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड को संख्या यदि कोई हो 263

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रायेक दस्त में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 व दिन
 श्री ओम प्रकाश विष्णोई
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
 नगर निकाय (दक्षिण क्षेत्र)
 (जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LD
 पिता/पति का नाम SDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04 के 07 व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विष्णोई द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एग्जिक्यूटिव सहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SF-7 अग्रणी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूपी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:27 PM

Fee Receipt No. Name	: 202000053000205 SUN CITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Receipt Date Document S. No.	: 14/01/2020 : 2020010630000199
Address Document Type	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Graas Challan 34561408 ₹ 11 # e-Graas Challan 33128543 ₹ 245 # e-Graas Challan 30006201 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

39/1/2020



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6572
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

जाति

पदवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा तब में जहां कहीं प्रसंग से देश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यप्राप्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **137** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.46** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ज्ञात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रा सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर रूपरेखा **वापिस** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की शक्ति जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शक्ति जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शक्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शक्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शक्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु जीव विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किताबे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्विती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्टक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीमत निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह प्रमाण जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख **विधि** की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कृतपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवस्था अविप्राप्त किया गया है या आवंटन **विधि** पट्टा विलेख के **नगरीय निर्धारण** (क.प.उ.)

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमाणों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ताल : 1 नोवरा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम : 50
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर : 50

सीमा पूर्व P.No. 221 सीमा पश्चिम ROAD 30'
 सीमा उत्तर P.No. 26 सीमा दक्षिण P.No. 263 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 264

इसके साक्षी के रूप में हमके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विष्ट
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर P.A.S. में हस्ताक्षर किये।

SN
 नगर विकास - (द्वितीय पक्ष)
 (सभी पक्षों के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LD C
 पिता/पति का नाम SDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान

SA
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम पिक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम रम. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, दलमिया रोड, मदनसिया स्कूल, जोधपुर

SA
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम जितिन मोदी
 पिता/पति का नाम रम. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय एकएडेन्ड लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 धीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

SA
 साक्षी के हस्ताक्षर

SA
 उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 12:44 PM

Fee Receipt No	: 202002063000159	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No	: 202001063000154
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 150	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_23_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 33125817 ₹ 245 # e-Gras Challan 34561312 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

सुनी पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6573
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जालि

राजस्थान निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वस्ती अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यार्थित करता है कि प्रीनियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनीवडा** के खसरा संख्या **157** क्षेत्रफल **50 गु.ग.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) के तौर पर रुपये **4000** अंके **11/- 54484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्मा प्रत्येक 15 वर्ष के परवात् और विप्लव या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण का, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, समायोजक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चिन्ता की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसंदेस प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परवात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिवर्ति या उसके उत्संचन में अपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या **उप पंजीयक, लुणा** या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्ठित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत भाग सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' X 30' = 50 क. गज.

सीमा पूर्व P.No. 220 सीमा पश्चिम ROAD 20'
सीमा उत्तर P.No. 266 सीमा दक्षिण P.No. 264 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 265

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोग प्रकाश विश्मोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

.....
उपस्थित (प्रमाणपत्र)
नगर निकाय (प्रमाणपत्र)
जोधपुर निकाय (प्रमाणपत्र)
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम मोदी
व्यवसाय
निवास स्थान एकडेकर लहरीय आर्ट
23/3F-7 जीपारानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

.....
उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix-I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:17 PM

Fee Receipt No.	202002003000257	Receipt Date	15/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	202001003000251
Address	11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 159	Evaluated Value	₹ 139500
Ord. Registration Fee	₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 8	Stamp Duty	₹ 40
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 268
		Total Amount	₹ 268

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 33128534 ₹ 245 # e-Gra Chalan 33128534 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

(Signature)
श्री गोविंद, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6377
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

व्यवसाय नियासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और पुनर्निर्माण अर्थात् भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा जमा कर दी गई है और जिसकी शर्तों के तहत नगर निकाय को प्राप्त की गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के अलावा नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण व्यापकता के साथ सम्मिलित किया गया है किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 22 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित-क्रय-दर, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परवर्ती और विषय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य संबंध, स्वतंत्रता के परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खर्च द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परवर्ती यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख अधि की दुरभिविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, या आवंटन या पट्टा विलेख के **रूप में प्रतीयक, लुप** (क.प.उ.)

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी संनिर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कहरित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार आणवात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणवात्री संस्थाओं के पास नवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 1 नं
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15'x30' = 50 वर्ग गज

सीमा पूर्व P.O-219 सीमा पश्चिम ROAD-30
 सीमा उत्तर P.O-263 सीमा दक्षिण P.O-265 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.O-266

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (विकास)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सहाय्य अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
JDA
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक
द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दलीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एजेंट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/24 D-7 पीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:56 PM

Fee Receipt No	: 202002063000235	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000228
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 150	Evaluated Value	: ₹ 139500
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹ 40
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 266
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Grao Chalan 33128190 ₹ 245 # e-Grao Chalan 335127 ₹ 11 # e-Grao Chalan 36028141 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR
शुभ पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6575
17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहाँ कहीं प्रसंग से वंशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित कस्ता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तीसरे वर्ष अंक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, सहाय्यिकी, अन्तरण के समय संबंधित निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बख्त दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, सहाय्यिक परिश्रुति सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्षयित की जायेगी किन्तु किसी भी वरत में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त विधियों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की हकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरुमिाधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानित किसी भी प्रकार की मुकत्तानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एस.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 15' x 20' = 30 वर्ग गज

सीमा पूर्व P.NO- 218 सीमा पश्चिम R.O.D-30'
सीमा उत्तर P.NO- 268 सीमा दक्षिण P.NO- 266 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.NO- 267

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 मार्च के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर नगर निकाय
(सहम अधिकारी की हस्ताक्षर के लिए)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDL
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीनती नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नन्ध मोदी
निवास स्थान सकमरुटेन्ड-लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाजसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix -I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:28 PM

Fee Receipt No	: 202002063000216	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA.	Document S. No	: 202001063000209
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 139500
Ord Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (Memorandum)	: ₹ 40
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 268
		Other than Cash	: ₹ 268
		Total Amount	: ₹ 268

Mode of Payment (if Mode Number Amount 9)

e-Gas Challan 33125338 ₹ 345 # e-Gas Challan 0930078 ₹ 10 # e-Gas Challan 3450098 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

**SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6576
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

धर्मसाध निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वंशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्सफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साद्व्यक्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतें जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तमीवडा**

के खसरा संख्या **1/7** क्षेत्रफल **58.00 कि.मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमान में प्रत्येक अवकाशों, संस्मरणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिस** अंक **12/- 52484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करावी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की जरूरत के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्वया द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, स्वाभाविक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभाओं का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख, विधि की दुर्लभसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अधिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत अन्तरण, लुप्त (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
15'x30' = 50.00

सीमा पूर्व P.N.O. 212 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर ROAD 30' सीमा दक्षिण P.N.O. 267 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 268

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्तोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

Sh
उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहस्र अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LD
पिता/पति का नाम DDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04 के 04 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय अन्यक उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान विकास नगर अकादमि स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम मोदी
व्यवसाय मोदी
निवास स्थान विकास नगर अकादमि स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

20/07/19 को लीडिंग बोर्ड, जोधपुर उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:10 PM

Fee Receipt No Name	: 202002063000253 : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Receipt Date Document S. No	: 15/01/2020 : 202001063000247
Addn : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR Document Type : Lease granted for a time or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
Cash Amount Received			: ₹ 0
Other than Cash			: ₹ 266
Total Amount			: ₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)

₹ e-Gras Challan 33127442 ₹ 245 ₹ e-Gras Challan 36028481 ₹ 10 ₹ e-Gras Challan 34562516 ₹ 11

Signature of presenter or Applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of receipt

SUB-REGISTRAR लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6589
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसकी बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

छरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अन्तर्गत भी सम्मिलित होंगे) को मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साहचर्यपूर्ण करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के अलावा नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनखडा** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **52.5** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थायी सट्टा किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय को खसतखत में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **415** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के वास्तविक से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के फरमात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बट्टा की जायें, लीजधारक के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, पर्यावरण परियोजना सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्गत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिन्दीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या रसीद या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ बत रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी रीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परचदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्व नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के फरमात **बहाल** है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमसंधि या उसके उल्लंघन में अपट्टपूर्ण वरसावेज के आधार पर नुर्बपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या **अमान्य** पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दावी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखरूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमवडा
खसरा नम्बर : 177
सोचना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
15 x 30 = 50.00

सीमा पूर्व P.N. 280 सीमा पश्चिम P.N. 278
सीमा उत्तर P.N. 339 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 279

इसके साक्षी के रूप में इसके फोटो के ने इसके बाद प्रायिक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 में दिन
श्री ओम प्रकाश विस्लोट
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर (दक्षिण)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(संक्षिप्त अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एंटरप्राइज लहरीय आर्ट
निवास स्थान 20/959-7 चौ. नरसिंह राजसिंह बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

मुख्य पंजीयक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:42 PM

Fee Receipt No. : 202002003000194	Receipt Date : 14/01/2020
Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH	Document S. No. : 202001063000188
RAJENDRA MEHTA,	
Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR	
Document Type : Lease granted for a five or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent	
Face Value : ₹ 159	Evaluated Value : ₹ 109350

Ord-Registration Fee	₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 8	Stamp Duty	₹ 40
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 266
		Total Amount	₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 34502045 ₹ 11 # e-Gras Chalan 3312 1634 ₹ 234 # e-Gras Chalan 36008162 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

सुप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6581

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिरे-निदेशक श्री सत्येन्द्र मेहरा मुत्र श्री हनंतसराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वंसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **177** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **509.51** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूप सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-निबन्ध (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा अंके **11/54484** मात्र पैरागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निवृत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शसित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ध्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशान द्वारा अनिष्टाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आवश्यक, लुप्त (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्ठित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांशित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सरकार आणवात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणवात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए कंपक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
15 X 30 = 505.51

सीमा पूर्व PN-281 सीमा पश्चिम PN-273
सीमा उत्तर PN-33338 सीमा दक्षिण ROAD 36 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 280

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

Dr
उपायुक्त (राज्य)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04 सन् 20 07 के माह 07 के 2019 वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री लीनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Dr
लीनधारक Dr

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकारटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/57/57 कांवासनी राजसिंग बोर्ड, जोधपुर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

Dr
उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:20 PM

Fee Receipt No	: 202002063000215	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNICITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 2020010630000208
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 33127323 ₹ 265 # e-Gras Challan 34560569 ₹ 11

Signature of presenter or applicant
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
अप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6582
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डरूम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जयसारा निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वंश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवित्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा प्राप्त किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व राशि **177** के स्वसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **60.00** वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन स्वीकृत अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निवत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंदा) के तौर पर रुपये **11/5** अंके **11/59486** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंदा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जायेगी, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा किये गये नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किंदा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किंदा का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बकाया दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, स्वाभाविक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रथमतः उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालवधि की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित तमाम अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ शक्तिशाली विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविवेचि या उसके उल्लंघन के कारण पूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशान द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो यह पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित सम्पत्ति जायेगा, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्चित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्वुल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर :
15' X 30' = 50.00

सीमा पूर्व PN-282 सीमा पश्चिम PN-280
 सीमा उत्तर PN-330 सीमा दक्षिण ROAD 330 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 281

इसके साक्षी के रूप में इसके परीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर (दक्षिण)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सहम-अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
 पिता/पति का नाम 33A
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्य. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दर्भाना नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकान्त लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SF-7 राजनी सम्प्रतिम मोदी, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:05 PM

Fee Receipt No	: 202002063000251	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNICITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.,	Document S. No.	: 202001063000244
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_84_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 266
		Other than Cash	: ₹
		Total Amount	₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challen 36006255 ₹ 10 # e-Gras Challen 33107255 ₹ 10 # e-Gras Challen 34050674 ₹ 11

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
राजस्थान, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6583
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवत्सज

जयराय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इरादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा प्राप्त किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में तात्त रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वर्ण संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खसरादार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अग्रित के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के अंत गुण के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर नगर-का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर नगर का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुनर्-आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नगर में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमासों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरितियों या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवस्था द्वारा अर्जिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

राम मजरायके, लुणा

(क.प.ड.)

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काश्त किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15 X 30 = 5000

सीमा पूर्व P.No-283 सीमा पश्चिम P.No-281
सीमा उत्तर P.No-337 सीमा दक्षिण ROAD 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 282

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्लोई
R.A.S.
निम्न कौ उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित कौ उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर -
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम रामज नाथ मोदी
व्यवसाय एग्जाक्यूटिव सहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/01/07 जीवासनी राजसिंह बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

अ.पंजीयक, लघु

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 5:00 PM

Fee Receipt No	: 202002063000272	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUMCITY BUILDHOME PVT LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 202001063000265
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fees for Memorandum Us_54_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Grao Challen 35846665 ₹ 10 # e-Grao Challen 34631368 ₹ 256

Signature of presenter or applicant for copy of Search Certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6584
17/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जयरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री इन्दवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर ज्ञाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल सं में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संज्ञाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कतर्तों के अधीन खसिददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर रूपरेखा अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय-या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किताबे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, बंधावरक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे जहाँ प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यासित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं भूयक् आदेशों द्वारा, जो संघ्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचालित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण का ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन अमिप्राप्त किया गया है कि आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को फारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमाकड़ा
खसरा नम्बर : 174
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15 X 30 = 50.00

सीमा पूर्व P.No-284 सीमा पश्चिम P.No-282
सीमा उत्तर P.No-335 सीमा दक्षिण R.O.P.O 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 283

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निर्माण/सिद्ध की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यकारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यकारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासाया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिश मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकार्डेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SF3-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

समंजीयक, लृणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:09 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000213	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000206
Address	: 11-B, SAROJAPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 150	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount):
e-Gas Chalan 33117679 ₹ 245 # e-Gas Chalan 33117679 ₹ 11 # e-Gas Chalan 38006603 ₹ 10



Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

033770



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6585

4/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जयरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज

जति

धरसाव निवासी सत्वारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तन्नाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50 व. हा. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तन्नाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जगहबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- अंके 59484 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जगहबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करावी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फौरनस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक कर नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सविस्तीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचालित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावी का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी भी दुरिमसंधि या उसके उल्लंघन में खपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरिमसंधि द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के

उप पंजीयक, लुणा

(फ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखरबुद्ध बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं को पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्पे का नाम : जोधपुर
राजस्थान : तनकड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर : 75' X 30' = 50.00

सीमा पूर्व PNo-285 सीमा पश्चिम PNo-283
सीमा उत्तर PNo-334335 सीमा दक्षिण ROAD 3/1 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 284

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

3N
नगर निकाय (दक्षिण) के
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहस्र अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

जोधपुर नगरीय निकाय, लुणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:15 PM

Fee Receipt No. Name	: 202002063000214 : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Receipt Date Document S. No.	: 15/01/2020 : 202001063000207
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount)
e-Gras Challan 30026115 # 10 # e-Gras Challan 33127816 # 25 # e-Gras Challan 34562294 # 11

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

3
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

3
SUB-REGISTRAR
LUNI



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6586
4/7/19



यह विलेख आज यहाँ के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तर्गण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्विति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभातों या कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरुस्थिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो पट्टा विलेख के

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्पर्द्ध करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को फारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
15 X 30 = 50.00

सीमा पूर्व PNo-286 सीमा पश्चिम PNo-284
सीमा उत्तर PNo-335 सीमा दक्षिण ROAD 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 285

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विश्नोई लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकजट्टे लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 धीपासनी हारसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

संजीवक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix (Form No. 9 (Rule 75 & 131)) Print Date : 15-01-2020 3:21 PM

Fee Receipt No	: 202002063000236	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNGITY BULDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 2020010630000234
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 33128052 ₹ 245 # e-Gra Chalan 3316077 ₹ 11 # e-Gra Chalan 3308125 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)
Carried

Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
REGISTRATION, LUNI



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6587
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जयरिये विदेशक श्री राजेन्द्र मेहता मुख श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यपाकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वागित्य संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कसरतों के अधीन खलीदवार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परचाल और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचाल यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

यह पत्राधिक, लुणा (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कापित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दावी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर :
15X30=50.00

सीमा पूर्व P.No-287 सीमा पश्चिम P.No-285

सीमा उत्तर P.No-334 सीमा दक्षिण RQA2 30' मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 286

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकार्डेंट लहरीय आर्ट
23/5F3-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

पंजीयक, लूपी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rupee 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:14 PM

Fee Receipt No : 202002063000259 Receipt Date : 15/01/2020
Name : SUNGITY BUILDHOME Document S. No : 202001063000249
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
Ord-Registration Fee : ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSI : ₹ 200	Certified copying fees Us_67 : ₹ 0
Stamp (Memorandum) : ₹	Reg (memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 8	Stamp Duty : ₹ 40
Penalty : ₹ 10	Inspection fee : ₹ 0
Us_25_34 : ₹ 0	Commission : ₹ 0
Custody : ₹	Others : ₹ 0
	Cash Amount Received : ₹ 0
	Other than Cash : ₹ 266
	Total Amount : ₹ 266

Mode of Payment (If Mode Number Amount)
₹ e-Gra Chellan 34500663 ₹ 11 ₹ e-Gra Chellan 36006550 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

583
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

द्वितीय पक्ष के रूप में **जयिरे निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज**

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अतिरिक्त भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संकाम के बाविल से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान की अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा सख्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिक्ती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुनर् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विधित दिनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिक्ती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरुविशेषि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत, लूट (क.प.उ.)

निकषनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांस्टि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नप सहित क्षेत्रफल वर्गज/कर्ममीटर
15X30=50.00

सीमा पूर्व PN-288 सीमा पश्चिम PN-286
सीमा उत्तर PN-334,333 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 287

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन में इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाकर्ष
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

जोधपुर (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम-पुल
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम-अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकअडेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SF3-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

सुपंजीयक, लूपी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:08 PM

Fee Receipt No	: 202002063000226	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000219
Address	: 11-B, SARDAARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
On-Registration Fee	: ₹ 5	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹
CSII	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (pMode Number Amount #)

e-Gra Chalan 36004506 ₹ 10 # e-Gra Chalan 34653705 ₹ 11 # e-Gra Chalan 33127017 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

3
CHIT

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
राजपिंडीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6589
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री सनवतराज

जाति

पदवसाय निवासी सरदारपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से बेसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, विवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कतरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कतरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुरि अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर मकान का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमपक्ष उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभातों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पता चला है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविविधि या उसके उत्पन्न होने के कारण पूर्ण दस्तावेज के आधार पर पुनर्प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत, लीजधारक (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तारावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15X30= 50.00

सीमा पूर्व P.No-283 सीमा पश्चिम P.No-287
 सीमा उत्तर P.No-333,332 सीमा दक्षिण ROAD 301 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 288

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

संपादक (दक्षिण)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम LDC
 व्यवसाय JDA
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एन्टरप्राइज लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लुणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:32 PM

Fee Receipt No	: 202002063000263	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MIENTA	Document S. No.	: 202001063000258
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 138500

Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Cashonly	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Chetan 34562535 ₹ 11 # e-Gras Chetan 34562535 ₹ 245 # e-Gras Chetan 34562535 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6590
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

चारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम हनुवडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50 व. डा. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रा सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/- 50 पक्ष मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा को दशहर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विग्रह या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समूह नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनियमित मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रह विलेख, दान विलेख, या यसीफत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी अन्तरण नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख भ्रष्टाचार की दुरुमिसंधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के उप-पट्टाधारक, नगरीय (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास नवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : 1 नंवाडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
15X30= 50.00

सीमा पूर्व P.No-290 सीमा पश्चिम P.No-288
सीमा उत्तर P.No-332 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 289

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाजी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
उपायुक्त (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम UDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

अज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निर्मातृलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकस्ट्रेट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFD-7 घोसाणी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

अपजीयक, लूणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 12:37 PM

Fee Receipt No.	: 20200206000153	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000153
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 255
		Total Amount	: ₹ 255

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Graa Chalan 36006549 ₹ 10 # e-Graa Chalan 36062600 ₹ 11 # e-Graa Chalan 33126884 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Registrar

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6591
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज

जाति
व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय को प्राप्त स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तुनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.4 बी.डी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिकंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय को कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11/-** अंके **50420** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा किये गये नगरीय निर्धारण की शर्ति के कतरवत्तल लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशिया की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पलदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या माल, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगति का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरुमिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर कार्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

उप-पट्टाधारक, जोधपुर

(कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं को पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15X3= 50.00

सीमा पूर्व P.No-291 सीमा पश्चिम P.No-289
सीमा उत्तर P.No-331 सीमा दक्षिण ROAD 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 290

इसके साथी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SP
उपस्थित (दाखल)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

अध्यक्ष, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:17 PM

Fee Receipt No	: 202002063000190	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 2020010630000184
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 36007925 ₹ 10 # e-Gra Challan 34811514 ₹ 256

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6592
11/119



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

परिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

प्रायसाह निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल बंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित कर ले, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विद्यमान या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य नियमों, न्यायिक परिसरों सहित, अन्तरिती का उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों का किसी न्यूनतम आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ संश्लिष्ट विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीमत निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की पूर्णतः या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर निर्धारण द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंब्रत करेगा जो सभी प्रमार्त से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्द्यूल्ड बैंक/सरकार त्राणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत त्राणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के त्राण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तगवड़ा
खसरा नम्बर : 147
खोजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15X30= 50.00

सीमा पूर्व P.No-232 सीमा पश्चिम P.No-230
सीमा उत्तर P.No-331, 330 सीमा दक्षिण ROAD 301 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 291

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिहनेरु
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (विकास)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्टेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकार्टेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 29/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, नगर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:04 PM

Fee Receipt No	202002063000225	Receipt Date	15/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT LTD, TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	202001063000218
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a fire or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 159	Evaluated Value	₹ 109350
Ord-Registration Fee	₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CS	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 8	Stamp Duty	₹ 40
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 266
		Total Amount	₹ 266

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 34511410 ₹ 256 # e-Gras Chalan 3545483 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and dated return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर.

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6599
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **नसिदी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जोधपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकित्त अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी परीच नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50 बीघा** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्मृतियों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निरुक्त कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिक** अंके **11 - Square** मात्र पैसानी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहें तो एक बारीक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगतियों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग निष्पादित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिग्नमन किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडपुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व नाम : तनावडा
खसरा नम्बर : 157
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल बर्गगज/बर्गमीटर
15X30 = 50.00

सीमा पूर्व P.No-233 सीमा पश्चिम P.No-231
सीमा उत्तर P.No-33, 232 सीमा दक्षिण Rofa 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 292

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 मह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश तिवारी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दांशन)
प्रभुपनगर्विका- प्रबधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - जितिन मोदी

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFS-7 बीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix (Form No. 9 (Rule 75 & 131)) Print Date : 15-01-2020 5:12 PM

Fee Receipt No	: 202002063000276	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 202001063000270
Address	: 11-B, SAIDARPURA, JOHPUR, JOHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 8	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 8	Stamp Duty	: ₹ 40
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 266
		Total Amount	: ₹ 266

Mode of Payment (If Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 34810565 ₹ 250 # e-Gras Chalan 35948552 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6397

4/7/18



यह विलेख आज वर्ष

के माह

के

दे दिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं की

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रश्न से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा फालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50.00 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा वार्षिक 12/1- Squrd अंके 12/1- Squrd मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण का, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित शमरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्काशन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर आवंटन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

उप पञ्चावक, लूणी

(क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर :
15X30-50.00

सीमा पूर्व ROAD 30' सीमा पश्चिम PNo- 292
सीमा उत्तर PNo- 323 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 293

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिष्टोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश बिष्टोई लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - ओम प्रकाश बिष्टोई

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिस जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधोभाति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

सममंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:44 PM

Fee Receipt No	: 202002063000220	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH	Document S. No.	: 202001083000213
Address	RAJENDRA MEHTA, 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CS	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount/₹)
e-Gras Challan 35584452 ₹ 10 # e-Gras Challan 345586595 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)
Challan

Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
राजस्थान, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6636
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

प्रारित्य निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जाहं कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादिष्ट हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व चाम **नानावडी**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 वर्ग मी** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्तेयों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर समय अंक **127-5948** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्याया द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किताबे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बसा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकल्प प्रणाली का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरुस्ति की या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया पट्टा विलेख या पट्टा विलेख के



उप-पट्टा विलेख, लुणा (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्द्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत तप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर :
20x40 = 88.88

सीमा पूर्व ROAD 30 सीमा पश्चिम P.No 330
सीमा उत्तर ROAD 60 सीमा दक्षिण P.No 292, 293 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 329

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रायेक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sm
उपायुक्त (दायित्व),
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहयोगी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Sm
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विष्ट लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sm
लीजधारक - दायित्व

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम राम शर्मा
व्यवसाय इन्सुरेंस प्रो. लि.
निवास स्थान जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम उमेश नाथ मोदी
व्यवसाय एग्रीकल्चरल लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/38/3-7 चौपासी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Sm
साक्षी के हस्ताक्षर

Sm
साक्षी के हस्ताक्षर

Sm
उपायुक्त (दायित्व),
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहयोगी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix 3-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:43 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000268	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000263
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 154400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (MMode Number Amount ₹)

e-Gra Chalan 34556134 # 300 # e-Gra Chalan 34556134 # 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

3

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

05

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6631
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जयिरे निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

स्थलस्थ निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यावित्त करता है कि प्रीनियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तनाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सार्वजनिक प्रान्त **हनुवतराज** के खसरा संख्या क्षेत्रफल **39.99 व. डा.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तनाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कानूनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **4000** अंके **12/- 59480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तराल पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेव प्रीनियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई हक या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की हक या के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग, गलत निर्माण किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकस्तनी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सत्कार/जीवन बीमा निगम/सिंहयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : त नावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर :
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No-329 सीमा पश्चिम P.No-331
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No-331, 332 मन्चित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 330

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाजी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sh
उपायुक्त (दाक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पूर्व
विभाग विकास अधिकारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

D
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Sh
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम श. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकालटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Sh
साक्षी के हस्ताक्षर

Sh
साक्षी के हस्ताक्षर

उप वेंचरियक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 5:08 PM

Fee Receipt No	: 202002063000275	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 202001063000269
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 264	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 6
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gate Chalan 34058871 ₹ 300 # e-Gate Chalan 34058871 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, सूणी

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंगत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को फारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयूल्ड बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

फरसों का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनखड़ा
खसरा नम्बर : 177
खोजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No- 330 सीमा पश्चिम P.No- 332
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No- 330, 331 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 331

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री मोम प्रकाश विजयगोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

नगर निकाय प्रथम पक्ष
(संलग्न अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रमंजीविक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix (Form No. 9 (Rule 75 & 131)) Print Date : 15-01-2020 2:00 PM

Fee Receipt No. : 202001063000224 Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR Document Type : Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent	Receipt Date : 15/01/2020 Document S. No : 202001063000217	
Face Value : ₹ 264 Evaluated Value : ₹ 194400		
Ord-Registration Fee : ₹ 15 CSL : ₹ 200 Stamp (Memorandum) : ₹ Surcharge : ₹ 14 Penalty : ₹ 10 Us_25_34 : ₹ 0 Custody : ₹	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹ Certified copying fees Us_57 : ₹ Reg (memorandum) : ₹ Stamp Duty : ₹ 71 Inspection fee : ₹ 0 Commission : ₹ 0 Others : ₹ 0 Cash Amount Received : ₹ 0 Other than Cash : ₹ 310 Total Amount : ₹ 310	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 3593608 ₹ 10 # e-Gra Chalan 34588413 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
LUNI, RAJASTHAN

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रणालियों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमाकड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No-331 सीमा पश्चिम P.No-333
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No-288,383 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड का संख्या यदि कोई हो 332

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्टनोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

[Signature]
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सीनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
सीनधारक

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
उप निर्देशक, लूणा

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fees Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:48 PM

Fee Receipt No	: 202002083000221	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000214
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR,		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Orients	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount \$)
e-Gra Challan 35642225 ₹ 10 # e-Gra Challan 34559287 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Custodian



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
राजस्थान, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6624
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता मुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवास्त में जहां कहीं प्रसंग से वंश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय को प्राप्त हो चुकी है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्त **177**

के खसरा संख्या क्षेत्रफल **34.94 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खसरादार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **12/5000** अंके **12/5000** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की दरि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें दरि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की दरि को आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की दरि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की दरि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उल्लेख, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मापलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस निबन्धन के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त निबन्धनों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ध्वाज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमाचों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन के कारण पट्टाधृति के आधार पर दुर्बुधदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 174
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
20X40= 8888

सीमा पूर्व P.No- 332 सीमा पश्चिम P.No- 334
सीमा उत्तर ROAD 6th सीमा दक्षिण P.No- 387, 388 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 333

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विजोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

ओम प्रकाश विजोई
(सह सचिव नगर निकाय)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय रव. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फास्टेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम मि. मोदी
व्यवसाय क. मोदी
निवास स्थान एयनएन्टे सहरिय आर्ट

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFS-7 चौपासनी हाससिंग बोर्ड, जोधपुर

उप प्रमुख, लुणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:28 PM

Fee Receipt No.	: 202002060001262	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 200001063000256
Address	: 11-B, SARGAPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹ 0
CSB	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310



Mode of Payment (if Mode Number Amount is not available)
e-Gas Chalan 34592234 ₹ 300 # e-Gas Chalan 34592234 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt
उप पंजीयक, लूनी
SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6635
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तारों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राग **तुलिका**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **39.94 व. ग.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में खाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किचया) के तौर पर रुपये **12/- 54480** अंके **12/- 54480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किचया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्तई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किचया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किचये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, पथावरयक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या साज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई वकाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की दकाना के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग हुआ अनिष्टाप्रत किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **उप-पट्टा, लुण्ठ** (क.प.उ.)

निकटनों और शर्तों का अतिग्रहण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस घट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिदयुल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास मदन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य का नाम : राजस्थान
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विराट नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No. 333 सीमा पश्चिम P.No. 335
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No. 386, 387 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 334

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशत में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 ई दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाजी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (वहिन)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वै दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

अ.संजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:21 PM

Fee Receipt No Name	: 202002063000258 : SUNGITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Receipt Date Document S. No.	: 15/01/2020 : 2020010630002583
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 34559148 ₹ 300 # e-Gra Chalan 35945325 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR LUNI



जोधपुर विकास अधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

666
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डरों प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **प्रसदापुर, जोधपुर**

(जिनको इसके बाद

लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबत में जहां कई प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या क्षेत्रफल **88-88** वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में जाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण रक्षामय संबंधी स्थायी सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों को अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 30 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विप्लव या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये को 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि की भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिश्रुति सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परतद्वय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगतों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पत्तन में कथपूर्ण दस्तावेज के आधार पर भू-राजस्व द्वारा अविप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के

यह प्रमाणित, सही (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No- 334 सीमा पश्चिम P.No- 336

सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No- 284, 285 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 335

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अजय सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
जोधपुर विकास प्राधिकरण/पंच
(सकल अधिकारों का हस्ताक्षर अधिकारी)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
एकाउंटेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/35-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
उप पंजायक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:26 PM

Fee Receipt No	202002063000230	Receipt Date	15/01/2020
Name	SUNICITY BLDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	202001063000223
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a time or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400
Ord. Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Graas Chalan 34589295 ₹ 200 # e-Graas Chalan 35515979 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6637
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सस्वारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीय नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घाम **हनुवडा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.89 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **बोध 5** अंके **12/- 52.430** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के दाविले से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की राशि से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिस्थिति सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि रवय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कलावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं कृषक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त दिनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूरा दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राय किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के **इस पक्षदेक, सुप्रा** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षावृद्ध बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40 = 88.88

सीमा पूर्व P.No-335 सीमा पश्चिम P.No-337
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No-283284 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 336

इसके साक्षी के रूप में इसको फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश खिरनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय प्रथम पक्ष
(सहमे अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उपस्थितिक. लणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:53 PM

Fee Receipt No	: 202002063000271	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNGITY BUILDHOMIE PVT LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000264
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fire or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Oct-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (eMode Number Amount #)

e-Gras Chalan 35549401 # 10 # e-Gras Chalan 34059401 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search Certificate

3
Custody



Signature of recipient
and date of return receipt

Y
SUB-REGISTRAR
LUNI

033788



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6638
५/११/१९



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादिता हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कार्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नादिता तथा फालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्य प्राप्त **११/१२/१९** के खसरा संख्या **१७७** क्षेत्रफल **०९:०९:००** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी तत्वों सहित किन्तु निम्नालिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **११५** अंके **१२/१२/१९** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुबिधाधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशान द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या **अमान्य** या पट्टा विलेख के

उप-पञ्जीकरण, मूनी (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित-किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार आणवात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणवात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमावडा
खसरा नम्बर : 1 न 7
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20X40 = 88.88

सोमा पूर्व P.No- 336 सोमा पश्चिम P.No- 338
सोमा उत्तर ROAD 6' सोमा दक्षिण P.No. 282, 283 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 337

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश त्रिस्तोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (विकास)
जोधपुर नगर निकाय
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम : LDG
पिता/पति का नाम : 33A
व्यवसाय :
निवास स्थान :
- नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :



[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

[Signature]
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम : विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम : स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय : ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा.लि.
निवास स्थान : 15, दधीमति नगर, मदवासीय स्कूल, जोधपुर
- नाम : नितिन मोदी
पिता/पति का नाम : कमल नाथ मोदी
व्यवसाय : एम्प्लॉयड लहरीय आर्ट
निवास स्थान : 23/3FS-7 चौपाली लउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

अपजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:57 PM

Fee Receipt No	1	202002063000223	Receipt Date	15/01/2020
Name	:	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	202001063000216
Address	:	11-B, SARDARPURA, JODHPUR		
Document Type	:	Lease granted for a firm or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	:	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400

Ord-Registration Fee	1	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	1	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	1	₹ 14	Stamp Duty	1	₹ 71
Penalty	:	₹ 10	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	1	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 310
			Total Amount	:	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3550383 ₹ 10 # e-Gras Chalan 3459504 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR

उप दर्जीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6639
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साहचर्य करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88-39 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, रोकड़ों, शर्तों और करारों के अधीन स्वीकृत अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम-20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशानी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विन्यस की सारीश से 7 वर्ष, या ऐसी अवधि अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं धुक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मूल्य के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशान द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के निमित्त, नगरीय निर्धारण (कृ.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रहण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमातों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानों के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कार्खे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : 131831
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No-334 सीमा पश्चिम P.No-335
सीमा उत्तर ROAD 60' सीमा दक्षिण P.No-280, 281 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 338

इसके सहर्षों के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 में दिन
श्री अमेय प्रकाश विजय
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (हस्ताक्षर)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
में दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदनवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम गितिन मोदी
पिता/पति का नाम नाथ मोदी
व्यवसाय लक्ष्मी लॉट
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदनवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix (Form No. 9 (Rule 75 & 131)) Print Date : 15-01-2020 4:36 PM

Fee Receipt No Name	: 202002063000264 SUN CITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Receipt Date Document S. No	: 15/01/2020 : 202001063000264
Address Document Type	: 11B, SAROJAPURA, JOCHPUR, JOCHPUR Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 264	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (B/Media Number/Account #)
e-Gate Challan 34589357 ₹ 300 # e-Gate Challan 34589357

Signature of presenter or applicant
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

Signature of recipient
and date of return receipt



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

672
11/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हाथ अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कतरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके हाथ लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व नाम **हनुमान** के खसरा संख्या क्षेत्रफल **63.52 व. 51** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कतरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक 11/- Square** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कइयी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कइई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, दयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर **आवासीय** निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बहा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में **अनुविष्ट निर्माण और चर्च** और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिमर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रकरण में उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ध्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभाशों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख **विधि की दुरुस्ति** या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अग्रिम प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **उप-पट्टाधुति** (कू.प.उ.)

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तनकिडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर :
6352

सीमा पूर्व PN-398 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर NIMH CITY सीमा दक्षिण PN-378 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 377

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अज्ञ सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्तार
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
उपायुक्त, नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं भीतर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विस्तार द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

राज्यधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्स्टीट्यूट प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दशमगती नगर, मदनवासिखा स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एजेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/373-7 चौमालनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उपस्थित, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:36 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000218	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000211
Address	: 11-B, SARUPUR, 342005, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord. Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)

₹ e-Gra Chalan 34599507 ₹ 300 ₹ e-Gra Chalan 35950007 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6673
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रो. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज कब्ज़ी है जो योजना राजस्व घात तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 8.8.38 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तारों के अधीन स्वीकार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये बाविस अंके 11/- 5480 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बार नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा कछयी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संवाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समकालीन नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत वर्णित जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं वृद्धि आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति पसदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरुधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अधिग्रहण किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत निर्धारित नियमों (क.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काचित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिल्डयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तलावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम : —
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20.240 = 88.88 ब.ग.

सीमा पूर्व P.No-397 सीमा पश्चिम ROAD 30'5"

सीमा उत्तर P.No-377 सीमा दक्षिण P.No-378 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 378

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्वोई
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
 उपस्थित नगर निकाय प्रबंधक
 जोधपुर निकाय (सहम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

Dr
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - प्रवीण पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

for
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निरंजन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकलदेव लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

for
 साक्षी के हस्ताक्षर

Dr
 उपस्थित नगर निकाय प्रबंधक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:53 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000234	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SLINCHITY BUILD-HOME PVT.LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 2020010630000227
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a five or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CS	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gra Challan 34-56577 ₹ 300 # e-Gra Challan 35-665145 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6674

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीदकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो खोजना

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **1.21-51** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम **प्रत्येक अप्रयोज्य, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अधीन :-**

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम-20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) के तौर पर रूपरेखा **11/- Sqrd** अके **मात्र** पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करावी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्सा प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण का भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसमि या उसके उल्लंघन में कफटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग के लिए निष्पादित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **नगर विकास प्राधिकरण, जोधपुर** (क.प.उ.)

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि विन्सी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिडपुल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
पौजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/घरामैटर
20 X 40 = 88.88

सीमा पूर्व P.No-396 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर P.No-378 सीमा दक्षिण R.No-380 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 379

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
लौकधारक - प्रथम पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रार्टेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम निशिन मोदी
पिता/पति का नाम दामोदर लाल मोदी
व्यवसाय रतन लक्ष्मी शर्मा
निवास स्थान 23/1/10 का.व.म.प. लक्ष्मी मोर्चा, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix-I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:45 PM

Fee Receipt No	202002063000232	Receipt Date	15/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	2020010630000225
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_2h_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gres Chalan 34810715 # 300 # e-Gres Chalan 35949123 # 205570707

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

[Signature]

SUB-REGISTRAR

सब रजिस्ट्रार, लूणा





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6673
17/119



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जयसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह वी सम्मिलित होंगे) के मध्य विधायित हुआ है।

यह विलेख सावधानीपूर्वक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा विधायित तथा भालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अग्रिम के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, वस्थास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होने माने प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुपक्ष प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी भी दुरनिर्देशित या उसके उत्संधन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अविश्वसनीय किया गया है या पट्टा विलेख के निष्पादन, जो पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रकारों से रहित नगर निकाय में गिरहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिद्ध्युत्थ बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमोवाडा
खसरा नम्बर : 194
योजना का नाम : 194
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 88.88

सीमा पूर्व P.N. 395 सीमा पश्चिम Road 30'
सीमा उत्तर P.N. 379 सीमा दक्षिण P.N. 381 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 380

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक तरफ में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (इंजिनियर)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम मितीन मोदी
पिता/पति का नाम म. मोदी
व्यवसाय म. मोदी
निवास स्थान म. मोदी, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

म. मंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:20 PM

Fee Receipt No	: 202002053000228	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD., TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000221
Address	: 11-B, BARDAPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 294	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
C-SI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_67	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Made of Payment (at Mode Number Amount #)

e-Cash Challan 34565057 ₹ 300 # e-Cash Challan 35565099 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

3
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

Y
SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6676
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी ससिद्धपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से विसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में तलत रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये अर्क मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बालीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के बाधित से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी वंश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्पक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर निर्दिष्ट भागलों में जारी किये जायें, शसित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पता चला है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुवस्थिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अर्जित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्थापित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 197
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 88.88

सीमा पूर्व P.No. 394 सीमा पश्चिम R.A.D. 30'

सीमा उत्तर P.No. 380 सीमा दक्षिण P.No. 382 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 381

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्तोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित नगर निकाय
राधपर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:33 PM

Fee Receipt No	: 202002063000217	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 202001053000210
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Orig-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (MMode Number Amount #)

e-Gas Chalan 34588223 ₹ 300 # e-Gas Chalan 35985448 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

सुषमिता मेहता



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6677
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाके में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 सफ्त** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्पत्ति स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अंके **11/-** **5298** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (जोहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संघात के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचाल और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अवसर पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति फलदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचाल यह पाया जाय कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है-कई आवंटन या पट्टा विलेख के **नगरीय प्राधिकरण, जोधपुर** (कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सस्काए/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार आणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अधवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान : राजस्थान
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 88.88

सीमा पूर्व P.N. 392 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर P.N. 381 सीमा दक्षिण P.N. 383 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 982

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (रक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम :
पिता/पति का नाम : LDC
व्यवसाय : JDA
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम : विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम : स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय : ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान : 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :
पिता/पति का नाम : राजेश मोदी
व्यवसाय : कमल माध मोदी
निवास स्थान : एकाटेन्ड-लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाजसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:14 PM

Fee Receipt No	: 202002083000227	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000220
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284		

Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 184400
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 310
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
a-Glas Drehan 35082318 ₹ 10.00

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
e-Gras Chalan 3506316 ₹ 10 # e-Gras Chalan 34569776 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

3
Casher

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6678
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मन्तवित्त अन्तर्गत भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी रस्ते सहित विन्नु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, चरमोण और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) के तौर पर रूपरेखा अंके मात्र पैगानी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अठार गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्म प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान-या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, स्थानस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मों का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

आवासीय

- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अपवादित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण परिस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावी का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाये कि पट्टा विलेख विधि की दुरनिरूपि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर, दुर्भावदशन किया गया है, तो पट्टा विलेख के (क.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को किराई किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिदुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एच. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसी काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : अनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 88.88

सीमा पूर्व P.No. 392 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर P.No. 382 सीमा दक्षिण P.No. 384 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 383

इसके साक्षी के रूप में इसके करीबने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री जे.एम. प्रताप सिंह
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (द.न.न.)
नगर निकाय - प्रधान प्रभु
राजपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम : LDC
पिता/पति का नाम : SDA
व्यवसाय :
निवास स्थान :
नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
साक्षीधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षीधारक - अधिकृत प्रभु

साक्षी :-

- नाम : विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम : स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय : ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान : 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम : गतिन मोदी
पिता/पति का नाम : कमल नाथ मोदी
व्यवसाय : एकाउन्टेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान : 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

पर पंजीयक, लूणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 12:58 PM

Fee Receipt No	: 202002053000161	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD., TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001053000156
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a time or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord. Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CS	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 3456712 ₹ 300 # e-Gra Chalan 36007801 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Clerk

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप प्रजीयक, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6679

117/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह मी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सक्ष्यंकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनानडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 वर्ग मी** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वातंत्र्य सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कतरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **चार सौ** अंके **11/-** से **54,400/-** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक भारतीय नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होवेगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बय दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खर्च द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विनियमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकसत प्रमारों या कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूज्य दस्तावेज के आधार पर दुर्योग्य अतिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **उक्त प्रतीक, स्थान** (क.प.उ.)

10. इस पट्टा वितरेख को आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कार्य का नाम : जोधपुर
राजस्व श्रम : तनावडी
खसरा नम्बर : 147
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
88.88

सोमा पूर्व P.No. 391 सोमा पश्चिम P.No. 390
सोमा उत्तर P.No. 383 सोमा दक्षिण P.No. 382 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 384.....

इसके साक्षी के रूप में इसको फरीकौन ने इसको बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्ता (दाखण,
बीधपुरगरी विकास - प्रमंडल कारख
(सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साधुओं के हस्तक्षार

साधु के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

2. नाम
पिता/पति का नाम जिरिण्डा मोदी
व्यवसाय वसुधायन मोदी
निवास स्थान 1, 2 लहरिया आर्ट
23/566-2 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFG-2 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

उप पंजीयक, लूणा

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:33 PM

Fee Receipt No	: 202002063000162	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000157
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPIUR, JODHPIUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Challan 38007614 # 10 # e-Gas Challan 34595006 # 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप-पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6680

17/11/19



यह विलेख आज तब के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसमें बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसमें बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैया अर्थ निकले, उनको उक्त अधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा जमा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान तमाम के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 39.89 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 00/00 अंके 11/- 34.420 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शरीय नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुणा को बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के व्ययों से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निवृत्त किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यावहारिक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अस्वीकृत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी शर्त प्रभावी नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से अविज्ञान द्वारा अविज्ञान विज्ञापन/आवेदन या पट्टा विलेख के (फ.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
बोवना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर : 88.88

सीमा पूर्व P.No. 390 सीमा पश्चिम Rem 30'
सीमा उत्तर P.No. 384 सीमा दक्षिण P.No. 386 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 385

इसके साक्षी के रूप में इसके फटीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विग्नो
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

श्री
उपायुक्त (दाख),
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

श्री
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

श्री
लौजधारक - दिवस यश

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

10/2
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नातेन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकअटेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 बॉयसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

श्री
साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:08 PM

Fee Receipt No	: 202002063000163	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MENTA,	Document S. No.	: 202001063000158
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a five or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (If Mode Number Amount #)

e-Gas Chalan 30007584 ₹ 10 # e-Gas Chalan 34694856 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR LUNI



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6681
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से पैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफिस अलैह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को अधीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मीटर स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत निम्नलिखित में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में सख्त रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक 11/- 29,400** अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरसिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसने राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के सम्मिलित से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर श्री पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त निबन्धनों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बदा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिचर्जन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे भागी प्रशंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्लिखित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्क आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त निबन्धनों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास मामलों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निम्नावन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण वस्तुतावेज के आधार पर दुर्नियोजित प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

उप-पट्टाधारक, जूमा

(क.प.उ.)

निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कब्जित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिंहबुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास चवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 82.88

सीमा पूर्व P.No. 389 सीमा पश्चिम R.No. 30'

सीमा उत्तर P.No. 385 सीमा दक्षिण P.No. 387 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 386

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरनाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दाक्षिण)
नगर निकाय - प्रधान पञ्च
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - हित

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम गितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकराइट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 27 पारसनी लउसिंग रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:12 PM

Fee Receipt No	: 202002063000164	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. THE RAJENDRA MENTA,	Document S. No.	: 202001063000159
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (\$Mode Number Amount #)
e-Gras Chalan 3452788 # 300 # e-Gras Chalan 3400085 # 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and delivery return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6682
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 हे. ग.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तारों के अधीन खसिदशर अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अग्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **लाख 12** अंके **59,450** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिश नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावे, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रमाति नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई भकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवदेशन द्वारा अमिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **नू-राजस्व, नू-राजस्व** (क.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयुल्ल बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तानावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व FWO 282 सीमा पश्चिम ROAD-30'
सीमा उत्तर PVO-286 सीमा दक्षिण ROAD-30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो PV-282

इसके साथी के रूप में इसके करीबने ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के दिन
श्री भोम प्रकाश बिष्टोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

उपायुक्त (दक्षिण,
राधपुर गणिकस - ब्रांच 554
(सहय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.ति.
निवास स्थान 15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निजम मोदी
पिता/पति का नाम अनिल नाथ मोदी
व्यवसाय रजिस्टर्ड लहरीय ऑटो
निवास स्थान 23/3/3-7 थापासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लृणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:42 PM

Fee Receipt No	: 202002063000236	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000152
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 264	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (RMode Number Amount #)

e-Gra Chalan 36000271 # 10 # e-Gra Chalan 34502751 # 900

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, सूरणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6683

7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा की खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसको अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये 121,450 अंके वास्तविक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कसई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा प्राप्त ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्वीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्वीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 15 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलाबधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कलाबधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परचदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अर्जित किया गया है या आपत्ति या पट्टा विलेख के उप-पट्टाधारक, नगर निकाय के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को जारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 147
सौजना का नाम : ...
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88-28 वर्ग गज

सीमा पूर्व E 0 45° 30' सीमा पश्चिम E 00° - 387

सीमा उत्तर E 00° 389 सीमा दक्षिण E 0 45° - 30' मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P 00° 388

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

...
नगर निकाय (दक्षिण पक्ष)
(सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

...
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकॉउटेन्ट तहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/GFS-7 लोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

...
उप पंजीयक, लृणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:52 PM

Fee Receipt No	: 202002063000222	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNDITY BUILDHOME PVT. LTD TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000215
Address	: 11-B, SAROJAPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 34500654 ₹ 300 # e-Gra Chalan 35949501 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

[Signature]

Signature of recipient and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6684
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रशंग से वंशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वाभिव्यक्त संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक मासिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्मा प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के संबंध में नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मा का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बंद हो जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिश्रम सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी वंशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दाव विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचालित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अधिभारित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास चवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग मी.

सीमा पूर्व R.O.D. 30' सीमा पश्चिम P.No. 386
सीमा उत्तर P.No. 390 सीमा दक्षिण P.No. 288 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 389

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दाख)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एवार्डेंट लहरीश आर्ट 20.00.07 पंचासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उपायुक्त (दाख)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:33 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000231	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000224
Address	: 11-B, SARGAPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSR	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (MMode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3459510: ₹ 300 # e-Gras Chalan 3552859: ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Caffari



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6685
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जयिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज कर्ता है जो योजना राजस्व नाम के स्वसह संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ

इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में स्पष्ट रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिकंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निवत कर दे, प्रत्येक वर्ष अर्द्ध के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके में पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगे, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करावी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बचीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विस्तार प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् पता चलता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर निष्पादन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कतिरित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ह बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अधिवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व P.O. 30 सीमा पश्चिम P.O. 385

सीमा उत्तर P.O. 391 सीमा दक्षिण P.O. 389 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.O. 390 (390)

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाकर्ष
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
उपायुक्त/द्वितीय
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम UDC
पिता/पति का नाम UDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 3 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:25 PM

Fee Receipt No	: 202002063000229	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000222
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 310
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Graa Chalan 35950555 ₹ 10 # e-Graa Chalan 35950555

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR

सुप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6686
5/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनन्तरसज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इनाम में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है:

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रक्बि कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घातमान के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 के.ग. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खसरादार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के वाचित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यद्यपि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधाशित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की दायता के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु या, या आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमसिधि या इसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग या दुरुमसिधि किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत अन्तरण, रद्द कर दिया जायेगा।

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांति किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.88 वर्गगज

सीमा पूर्व 20.00-20' सीमा पश्चिम P.00-384
सीमा उत्तर P.00-391 सीमा दक्षिण P.00-390 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.00-391

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाकर्ष
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नरेश कुमार (सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
चौधपूर

साक्षी 1-

- नाम LD
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी 1-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटैक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम गिरिज मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान समाजसेवा सहयोगी भवन
203F0-7 पौनसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप-सहायक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix -I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 4:40 PM

Fee Receipt No.	202002083000266	Receipt Date	15/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	202001003000262
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400
Out-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3452952 ₹ 300 # e-Gras Chalan-3650264 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
रूप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6687
५/७/१९



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मृतकिल अवैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा जमा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **नानावा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.82 च.ज.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु विनियमित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **पाँच सौ अंके** **11/100** मात्र पेशगी जमा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के बाधित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समक्ष नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूमि अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, सहायक पत्रिका सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे नानो प्रश्नवाचक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कलावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख में किसी भी दुरुपस्थिति या उसके उत्पन्न होने के कारण पूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपस्थिति द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत, लूट (क.प.व.)

नियंत्रणों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मर्माण सहित उसे प्रतिस्ठित करेगा जो सभी प्रणयों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 1 नं०
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.8 वर्ग गज

सीमा पूर्व ROAD 20' सीमा पश्चिम PUD. 383
 सीमा उत्तर PUD. 393 सीमा दक्षिण PUD. 391 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो PUD. 392

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 तै दिन
 श्री ओम प्रकाश बिश्नेर
 निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
PAS

Ln
 उपस्थित - प्रथम पक्ष
 नगरीय निकाय - प्रथम पक्ष
 रक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
 पिता/पति का नाम SDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान

Ln
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 तै दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

Ln
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम रज. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय अभिमान जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, 2nd फ्लोर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

Ln
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Ln
 साक्षी के हस्ताक्षर

Ln
 उपस्थित, लगी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:17 PM

Fee Receipt No	202002063000165	Receipt Date	14/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	202001063000160
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gas Challen 34592543 ₹ 300 # e-Gas Challen 30208053 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy of Segent certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6682
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जसिये निवेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वैनल अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 हे.मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल संग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रक्खत किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11,450** अंके **11,450** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्ति जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यावस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अवधि अधिक के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यावहारिक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित शर्तों और निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीमत निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम की अधीन कोई भी प्रवाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई नकारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

उप-पट्टाधारक, सूर्या

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभागों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' 88.88

सीमा पूर्व ROAD 30' सीमा पश्चिम P.NO 382

सीमा उत्तर P.NO 394 सीमा दक्षिण P.NO 392 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 293

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय विकास की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वादेई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R/S

उपस्थित (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
राजपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम 1.D.C
पिता/पति का नाम J.D.A
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04/07/2019 के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्य. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम ललित मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 12:53 PM

Fee Receipt No : 202002063000160 Receipt Date : 14/01/2020
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 202001083000155
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA.

Address : 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	₹ 254	Evaluated Value	₹ 194400
Ord. Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 36506050 ₹ 10 # e-Gra Chalan 34590625 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6689
५/७/१९



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और पुनर्निर्माण अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सशर्त निम्नलिखित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कानूनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना कजसब ग्राम **तनावडा** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **82.88 (5)** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कानूनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11/-50/-** अंके **11/-50/-** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विज्ञापन या बान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररन्तगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित की पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रगति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी धातिल के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की वृत्तिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवहार किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्चित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
24'X110' = 88:88

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.NO. 381
 सीमा उत्तर P.NO. 395 सीमा दक्षिण P.NO. 393 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 304

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रायेक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विष्ट
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

जोधपुर विकास प्राधिकरण
 उपस्थित (दक्षिण)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम KDC
 पिता/पति का नाम UDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - निदेशक

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम निलिन बोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एम्प्लॉयेड लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप प्रजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:24 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000167	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDING PVT. LTD. TH. RAJENORA MEHTA	Document S. No.	: 202001083000161
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Onl-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSL	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (Memorandum)	: ₹ 71
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 310
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 34592587 ₹ 300 # e-Gras Chalan 35501983 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR, LUNI



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6690
11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह बी सम्पत्ति होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना साजसज्जाम तमान 37 के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 बी.बी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण रवामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरतों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर समये 11/19 के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचाह और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा विभाजित किया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पुथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रह विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दत्त रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसन्देय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख, विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवस्थापन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है, या आवंटन या पट्टा विलेख के अन्तर्गत, लूना (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिद्धभूखंड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
खोजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
20'x40' = 88.88

सीमा पूर्व ROAD 30 सीमा पश्चिम PNO-380
सीमा उत्तर PNO-396 सीमा दक्षिण PNO-394 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 295

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री जे.एम. प्रकाश-विश्वनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जे.एम. प्रकाश-विश्वनोई
बगैर हस्ताक्षर के प्रबंधन पक्ष
(जोधपुर अधिकाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - जे.एम. प्रकाश-विश्वनोई

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix-I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:37 PM

Fee Receipt No	: 202002063000193	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	: 202001063000187
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOCHPUR, JOCHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 36007624 ₹ 10 # e-Gra Chalan 34169304 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

उपस्थितिपत्र, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6691
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सगसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

खवसाव निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहाँ कहीं प्रसंग से वंश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह बी सम्मिलित होंगे) के मध्य विधायित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीमियम तथा विकास मुक्त की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कवरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकत्र में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनीवडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 बी.जी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कवरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किचवा) के तौर पर रूपये **01185** अंके **11/- 54,402** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किचवा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के मुस्तक़रूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किचवा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किचवे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथाप्रत्येक परिवर्तन सहित, अन्तर्स्थित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथम उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निमित्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पन्न के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **अप्रामाणिक, लुण्ठ** (क.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को क़ारिस्त किसी भी प्रकार की नुक़सानों के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व P.O. 30 सीमा पश्चिम P.No. 379
सीमा उत्तर P.No. 394 सीमा दक्षिण P.No. 395 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 396

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीक़ेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश सिंह
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SN
नगर निकाय (दाखल)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
लौजधारक

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2/3/2019-7 विप्लवनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
मुख्य अधिकारी, लूपी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR, LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:29 PM

Fee Receipt No	: 202002053000192	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000186
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 264	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg. (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (@Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 34560422 ₹ 303 B e-Gras Challan 38057681

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate



Signature of recipient
and date of return receipt


SUB-REGISTRAR, LUNI





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6692
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

जालि निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाका में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के हाथ स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88.88 8-31 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बालिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संभाव्य के बालिय से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर-निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिश्रम सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विप्रय विलेख, दान विलेख, या यसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ वस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविरधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर पुनर्प्राप्त किया गया है, या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबन्धित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान : राजस्थान
खसरा नम्बर : 177
खोजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' : 88.88

सीमा पूर्व ROAD 30' सीमा पश्चिम P.NO.378

सीमा उत्तर P.NO.398 सीमा दक्षिण P.NO.396 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 297

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरनाई
R.A.S.
विम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

कमल लाल (उपनिष्ठा)
(सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विरनाई सीनियर अधिकारी द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

सीनियर अधिकारी - जोधपुर

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकजेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix -I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:23 PM

Fee Receipt No	: 202002063000191	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000185
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310



Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Grat Chalan 34-569983 ₹ 300 # e-Grat Chalan 56027951 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
34-569983, ₹ 310



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6693

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निर्देशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जानि

स्थवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाय में जहां कहीं प्रसंग से वैरा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफित अल्लेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख सत्यापित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा वातन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व नाम **तनावडा** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 अ-51** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समाप्त व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम-20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11/- 59.48/-** अंके **11/- 59.48/-** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आवे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधासित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई वकामा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख अधि की दुरुभिवधि या उसके उत्पन्नन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग हुआ है, निम्नलिखित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्वत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांशित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्गलूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विरतुत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व PNO-419 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर PNO-399 सीमा दक्षिण PNO-401 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 400

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश तिरुन
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - जोधपुर
राजपुर विकास प्राधिकरण
(सहस्र अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDL
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम प्रतिभ मोदी
पिता/पति का नाम जयराज मोदी
व्यवसाय लक्ष्मी आर्ट
निवास स्थान लक्ष्मी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लुणी

Go
REGISTRATION & STA
SU

Append

Fee Receipt No	: 202002063000277
Name	: SUNCITY BUILDH PVT LTD, TH RAJENDRA MEHT
Address	: 11-B, SARDARPUR
Document Type	: Lease granted for security charges a
Face Value	: ₹ 284
Ord-Registration Fee	: ₹ 15
CS)	: ₹ 200
Stamp (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14
Penalty	: ₹ 10
Us_25_34	: ₹ 0
Custody	: ₹

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gra Chalan 34562895 ₹ 200 # e-Gra Chalan 25

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cazner

Government of Rajasthan
MPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
IB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
x-I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 5:15 PM

ICME	Document S. No.	: 15/01/2020
		: 202001063000271

RA, JODHPUR, JODHPUR
a fine or premium or money advanced or development charges or
advanced in addition to the rent.

Evaluated Value	: ₹ 194400
Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
Certified copying fees Us_67	: ₹ 0
Reg (memorandum)	: ₹
Stamp Duty	: ₹ 71
Inspection fee	: ₹ 0
Commission	: ₹ 0
Others	: ₹ 0
Cash Amount Received	: ₹ 0
Other than Cash	: ₹ 310
Total Amount	: ₹ 310

34562895 ₹ 10



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR, LUNI



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6694
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिक अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसूली नगर निकाय को द्वारा वसूली कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **1-1-151** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88-88 & 5** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न चक्को में ताल रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्कारों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की तौर पर रुपये **11/- 52480** अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कर दी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विधिविहित मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रणाली का कोई वयादा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख में कोई दुरुभिराधि या उसको उत्संघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर पुनर्निर्माण द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के उप-पट्टाधिकार, जहाँ (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिव्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंवृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सत्कार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सत्कार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 1 न 7
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व P.N.O. 418 सीमा पश्चिम P.O.A. 30'

सीमा उत्तर P.N.O. 400 सीमा दक्षिण P.N.O. 402 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 401

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्मार्कों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SN
उपस्थित (दक्षिण)
जोधपुर नगर निकाय - प्रमुख अधिकारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम LD
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04 के 07 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फास्टेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कल्लू नाथ मोदी
व्यवसाय प्रकाशक लहरीय आर्ट
निवास स्थान 22/5F0-7 चौपारानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उपस्थित, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 2:49 PM

Fee Receipt No	: 202002063000233	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH	Document S. No.	: 202001093000226
Address	RAJENDRA MEHTA,		
Document Type	: 11-B, BARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 34590550 ₹ 300 # e-Gra Chalan 34590489 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)
CASH



Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6695
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रारंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तिकर्ता अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी प्रतीति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल के-में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी सार्वजनिक किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की शशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शशि के संदाय के बाकि से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विपरीत या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्पिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्ट आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावे, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्पिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ शहरीयुक्त विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुशंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रयोजित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनियमिती या उसके उत्पत्ति के कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, अर्थात्, या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कारखे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व PNO 417 सीमा पश्चिम ROAD 20'
सीमा उत्तर PNO 401 सीमा दक्षिण PNO 403 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 402

इसके साक्षी के रूप में इसको फरीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दफा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्टोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दाक्षिण)
नगरीय विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

22/07/2019 नगरीय विकास बोर्ड, जोधपुर

उप-संजीयक, लष्ठी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 1:40 PM

Fee Receipt No	: 20200203000219	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNGITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000212
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (If Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 35950835 ₹ 10 # e-Gras Chalan 34599482 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी





संस्कृत विद्यापीठ

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6696
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निर्देशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री इनवतसराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्य ग्राम **हनुमन्** के खसरा संख्या क्षेत्रफल **२२.२९५.५१** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सक्षिप्त किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वाधित** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के वादित्य से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा उसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकांक्षित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी दस्तखत नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विक्रय प्रभावों या कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख **विधि** की दुर्नियमिती या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या **अवैध** है, तो पट्टा विलेख के **उप-पञ्चायक, लुणाटा** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को किराए पर किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख में आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : अ-गाँव
खसरा नम्बर : 177
खोजन का नाम :
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
90' x 44' = 3960

सीमा पूर्व P.N. 41.1 सीमा पश्चिम P.N. 43.0
सीमा उत्तर P.N. 40.2 सीमा दक्षिण P.N. 40.4 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N. 40.3

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिहनेरु
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर (दक्षिण)
जोधपुर नगर निकाय - प्रबन्धक
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम मोदी
पिता/पति का नाम मोदी
व्यवसाय मोदी
निवास स्थान मोदी

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप-प्रबंधक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-01-2020 5:05 PM

Fee Receipt No	: 202002063000273	Receipt Date	: 15/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No	: 202001063000268
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a five or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310



Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gra Chalan 34560004 ₹ 300 # e-Gra Chalan 34560004 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
CASHM

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6697
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सन सिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जबसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनफिस अलैह बी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

राजस्थान राज्य के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विरोध रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के प्रत्येक वर्ष लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और फिक्का या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी गृही प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, संधावरक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रह विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पयदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग में आया है, तो निम्नलिखित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

अप मजाल, (क.प.उ.)

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix - Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:45 PM

Fee Receipt No	: 202002063001186	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000180
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 71
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 310
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 3600887 ₹ 10 # e-Gras Challan 3456048 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Officer

SUB-REGISTRAR
पंजीषक, लुनी



033813

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6698

1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

जाति

व्यवसाय निवासी (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तान अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ भूखण्ड के अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी सट्टित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रिल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त विधियों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगे, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, स्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगे। उक्त विधियों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त विधियों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनियमित मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ खिरटीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निविष्ट की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त विधियों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ध्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवेदन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूर्वक दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राय किया गया है, या आवेदन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

निकाशों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए बांधी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कास्वे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम :
निम्नत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80-80-5-21'

सीमा पूर्व P.No-414 सीमा पश्चिम ROAD 30' feet
सीमा उत्तर P.No-404 सीमा दक्षिण P.No-406 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 405

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वास
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (वाक्य)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निर्माता/लिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:50 PM

Fee Receipt No	202002063000187	Receipt Date	14/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	202001063000181
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 284	Evaluated Value	₹ 194400
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_54_57	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Chalan 34581023 ₹ 300 # e-Gas Chalan 34507892 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR, LUNI

033812



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6699
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

सरदारपुरा, जोधपुर

जाति

जयराय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्ब निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह सी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा जमा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राज्य प्रा. लि. के तहत संस्था क्षेत्रफल 39-89 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत स्थित गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में नाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरतों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) की शर्त जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संवाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्म प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के अनुसार भूखण्ड निर्धारण या भूमि के किस्म का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बकाया शर्तों के अनुसार लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विभिन्न विधिविधित मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में याच में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति भरावेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या आज्ञा, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई कमाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुवस्थिति या उसके उत्संघन से कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान : राजस्थान
खसरा नम्बर : 134
खेती का नाम :
विस्तृत भाग सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.89 वर्ग

सीमा पूर्व P.No-413 सीमा पश्चिम ROAD 30' feet
सीमा उत्तर P.No-405 सीमा दक्षिण P.No-407 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 406

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2009 माह के 04/07/2009 वें दिन
श्री श्रीम. प्रकाश विश्वास
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (विकास)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04/07/2009 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्य. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्सुरेन्स प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दशमंति नगर, भदवासवा स्कूल, जोधपुर
- नाम निखिल मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एजेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix - I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:09 PM

Fee Receipt No	: 202002063000179	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000173
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODPUR, JODPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
e-Gras Chalan 20006036 ₹ 10 W e-Gras Chalan 34580894 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
RAJASTHAN, AJMER



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6700
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमतराज

जाति

प्रवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलेह श्री सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय को प्राप्त स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तृतीय**

को खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **99.39 ई.म.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवाहों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खसरेदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अंके **11/- 590400** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचास और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट नामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन को साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नृ-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नृ-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचास यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग के द्वारा अमिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के **अप्रवर्तनीय, लाभा** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रहण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभल करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा वितेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखरूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए खंडक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनवडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : 177
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20'x40'-88'88'39"

सीमा पूर्व P.NO-412 सीमा पश्चिम ROAD 30'ft

सीमा उत्तर P.NO-406 सीमा दक्षिण P.NO-408 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 407

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री जीम प्रकाश विरानी RAS
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपर्युक्त
नगर निकाय प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम LDL
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक -

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रव. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीनात नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकाउन्टेन्ट सहस्रीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रपंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:19 PM

Fee Receipt No	20200205000161	Receipt Date	14/01/2020
Name	SUN CITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA WENTA, 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR	Document S. No.	202001063000175
Address			
Document Type	Lease granted for a time or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 294	Evaluated Value	₹ 194400
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)
e-Gate Chalan 2020017 ₹ 10 # e-Gate Chalan 3450948 ₹ 300

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
गुपतादेव, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6701
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

जाति

प्रवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तफिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साहचर्यित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खराबा संख्या **177** क्षेत्रफल **39.83 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) के तौर पर रूपये **000000** अंके **11-50-4000** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहें तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्म प्रत्येक 15 वर्ष के परचाह और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्म का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बतौर या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति प्रस्तुत प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभातों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचाह यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरनिर्वाही या उसके उत्तराधिकार में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया है या अन्यथा अमान्य है, तो पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमाणी से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कतिरित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहदुल्ल बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिगुप्त अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
 राजस्व ग्राम :
 खसरा नम्बर :
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
 20'x40' = 88.98 वर्ग

सीमा पूर्व P.No-411 सीमा पश्चिम ROAD 30 FT.

सीमा उत्तर P.No-407 सीमा दक्षिण P.No-409 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 408

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 माह के दिव
 श्री
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

.....
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सकल अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 दिव को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक

साक्षी :-

- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 8 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 1:28 PM

Fee Receipt No	: 202002063000188	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 2020001063000162
Address	: 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chulan: 34560683 ₹ 300 # e-Gra Chalan: 3008005 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

67.2
17/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

जयराज निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाका में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफिक अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख तत्सम्बन्धित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी प्रतीति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावाडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **99.99 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न चक्को में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापस** अंके **42/59042** मात्र पेसागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की दरि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शहरी जमा कराया जाता है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की दरि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की दरि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की दरि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, खयादशयक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे जैसी प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्धारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विनियम विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावे, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसको उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर **आवंटन** द्वारा अनिष्ठात किया गया है **आवंटन** या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरांद्धत करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल्ड बैंक/सरकार अध्यापत्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अध्यापत्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20' x 140' = 2800 वर्ग गज

सीमा पूर्व P.No-410 सीमा पश्चिम R.O.A.D 30' H.
 सीमा उत्तर P.No-453 सीमा दक्षिण R.O.A.D 30' H. मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 409

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री भोम प्रकाश विष्णु
R.A.S.
 निम्न कौ उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
 साक्षी :-

अध्यापक (प्राथमिक)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

1. नाम ...
 पिता/पति का नाम ...
 व्यवसाय ...
 निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ...
 पिता/पति का नाम ...
 व्यवसाय ...
 निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ... सन् 20 ... के माह ... के ... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ...
 लीनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीनधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-
 नाम ...
 पिता/पति का नाम ...
 व्यवसाय ...
 निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ...
 पिता/पति का नाम ...
 व्यवसाय ...
 निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

23/07/2019 योजना की लखसिंग बोर्ड, जोधपुर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:31 PM

Fee Receipt No	: 202002063000183	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000177
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 34500457 ₹ 300 # e-Gra Chalan 36308232 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूणी



संस्कृत विभाग, दिल्ली

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6703
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और क़ायमों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 7-1-1951

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 33.92 बी.बी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और क़ायमों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 12/5704/20 अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्चई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाप के दाविले से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्पित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्पित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ राजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

सह-प्रतीपक्ष, लुधियाना

(क.प.उ.)

नगरीय विकास की ओर से

साक्षी :-

1. नाम ... पिता/पति का नाम ... व्यवसाय ... निवास स्थान ...

2. नाम ... पिता/पति का नाम ... व्यवसाय ... निवास स्थान ...

आव दिनांक ... सन् 20 ... के माह ... के ...

वै दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ...

लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम ... पिता/पति का नाम ... व्यवसाय ... निवास स्थान ...

2. नाम ... पिता/पति का नाम ... व्यवसाय ... निवास स्थान ...

101

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix -I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:25 PM

Fee Receipt No	202002063000182	Receipt Date	14/01/2020
Name	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH	Document S. No.	202001063000176
Address	RAJENDRA MEHTA, 11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 204	Evaluated Value	₹ 194600
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty	₹ 71
Penalty	₹ 10	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 310
		Total Amount	₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

a-Gras Chellan 34580822 ₹ 300 # a-Gras Chellan 36008251 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of receipt

SUB-REGISTRAR
उप वजीरकर, रूपी

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अपना नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' X 40' = 80.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व ROAD 30' H. सीमा पश्चिम P.No-408

सीमा उत्तर P.No-412 सीमा दक्षिण P.No-410 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 411

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्तोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Lu
उपस्थित (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यकारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यकारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा जन शर्मा
व्यवसाय जॉर्जिटर जय इन्फोटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकअटेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

जय पंजीयक, लुणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:47 PM

Fee Receipt No	: 202002063000195	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000190
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOOPUR, JOOPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 34560796 ₹ 300 # e-Gra Challan 36028277 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Officer

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6705
५/७/१९



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं की **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रशासन से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साहचर्यित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हास अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा**

के खसस संख्या **177** क्षेत्रफल **३३.८८९.५१** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में जाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तनाम य प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन सरीसदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये **१५००** अंके **५१५४८** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त निबंधनों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विविधित मानकों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या कसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूल्यम होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख **विधि** की चुनौति यह उसका उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर अमिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के **नगरीय निर्धारण** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए खंडक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमावडा
खसरा नम्बर : 147
खेजना का नाम : विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
201845-99.99 वर्ग

सीमा पूर्व P.No-90/14 सीमा पश्चिम P.No-407

सीमा उत्तर P.No-412 सीमा दक्षिण P.No-411 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 412

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
नगरपालिका विकास कार्य निदेशक
(सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर आवश्यक)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDL
पिता/पति का नाम JDR
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जेय इन्फोटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दशमोदा नगर, मदनमोहिनी स्कूल, जोधपुर
- नाम मिर्तम मोदी
पिता/पति का नाम कमल लाल मोदी
व्यवसाय एकान्तरेड लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौकसानी डाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजायक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:53 PM

Fee Receipt No	: 20200203000198	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 202001063000192
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
a-Graa Chalan 34580765 ₹ 300 # e-Graa Chalan 35038554 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6706

4/7/19



यह विलेस आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री
सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

जाति

प्रत्यक्ष रूप से निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद ही प्रथम बार संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाका में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और कुलुत्तिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य विस्थापित हुआ है।

यह मिलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तत्काल भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिले नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) के तौर पर रूपरेखा अंक
मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक कारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) की राशि जमा करना सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करने हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्सा प्रत्येक 15 वर्ष के पराकाष्ठ और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्से का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधुरि अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम को अधीन कोई फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रणाली का कोई बकाया राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविधि या उत्तक उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर पुर्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के उप-पट्टे, लूट (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनावडा
खसरा नम्बर : 1 न 7
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 99.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व ROAD 30' Lt सीमा पश्चिम P.No-406

सीमा उत्तर P.No-414 सीमा दक्षिण P.No-412 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 413

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्वास
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
उपायुक्त (व.अन,
नगर निकाय, जोधपुर
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निर्मालिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक नगर निकाय

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम सु. राजा राम शर्मा
व्यवसाय आदिसा जय इन्फास्ट्रक. प्रा. लि.
निवास स्थान 12, देवगति नगर, भदवास्त्या स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकस्टेटेड लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 3:58 PM

Fee Receipt No	: 202002063000200	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000193
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOOHPUR, JOOHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_84_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (RMode Number Amount #)

e-Graa Challan 34581068 ₹ 300 # e-Graa Challan 36028774 ₹ 15

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6707
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सरदारपुरा, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निकासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वारा से जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तविश्व अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सहायक कस्ता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी राशि नगर निकाय के द्वारा रखीकर कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तनावडा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **3.51.32 बी.हा.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रायेक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिले नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **117/- 89 प.र. 2** अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बार नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अतः गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विभाग का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विभाग या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापूर्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो सन्त सारकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनियमित मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के **नगरीय निर्धारण, संपूर्ण** (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांस्टि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तमावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गीकरण/वर्गमीटर
20' x 40' = 98.88 वर्ग मी.

सीमा पूर्व ROAD 30' 4" सीमा पश्चिम P. No-405
सीमा उत्तर P. No-415 सीमा दक्षिण P. No-413 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 414

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 07 माह के 20 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्वोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

भोम प्रकाश विश्वोई
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम L.D.C.
व्यवसाय JDA
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांट क प्रा.लि.
15, दधोभाति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकअटेंट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुमोदीक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER.
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:03 PM

Fee Receipt No	: 202002063000201	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	: 202001063000195
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 264.	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Chalan 34581228 ₹ 300 # e-Gas Chalan 36308795 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)

Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR-
उप पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6708
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वंशा अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और गुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तमावड़ा के खसरा संख्या क्षेत्रफल 8.5 वर्ग में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में जाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतन्त्र सक्षिप्त किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, सम्भोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिश नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्म) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्म प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और गिराना या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्म का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत्व या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आनास्टिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई भकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की भकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उत्पन्न में कषटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्लभित या अविप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के उप-पञ्चिका, नगरीय (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रन्थन किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमातों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखमुल्ह बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : अनावडा
खसरा नम्बर : 134
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.88व.मी.

सीमा पूर्व ROAD 30/64 सीमा पश्चिम P.No-604
सीमा उत्तर P.No-416 सीमा दक्षिण P.No-414 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 415

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नाई
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
उपस्थित दल
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

विक्रम शर्मा

११

1. नाम स्व. राजा राम शर्मा
पिता/पति का नाम ऑफिसर जय इन्फांटिक प्रा.लि.
व्यवसाय 15, दलीमति नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
निवास स्थान
2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:09 PM

Fee Receipt No	1	202002063000202	Receipt Date	14/01/2020
Name	SUNQITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA		Document S. No.	202001063000195
Address	11-B, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR			
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	₹ 254	Evaluated Value : ₹ 164400		
Ord-Registration Fee	₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67		
CSI	₹ 200	Certified copying fees Us_57		
Stamp (Memorandum)	₹	Reg (memorandum)		
Surcharge	₹ 14	Stamp Duty		
Penalty	₹ 10	Inspection fee		
Us_25_34	₹ 0	Commission		
Custody	₹	Others		
		Cash Amount Received		
		Other than Cash		
		Total Amount		
		₹ 310		
		₹ 310		



Mode of Payment (RMode Number Amount #55 पंजीयक
e-Gas Chalan 34581205 ₹ 300 # e-Gas Chalan 36008526 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

उप पंजीयक, लुनी

033962



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपपरीकृत, अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6709
५/७/१९



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

द्वारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

व्यवसाय निकासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अल्ले भी सम्मिलित होंगे) के मध्य विधायित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जावेंगे, के एकत्र में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तलावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 39.99 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ज्ञात रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों को अधीन करीबदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रूपसे वर्षों 11/12/19 में मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा इसके अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल ... आवासीय ... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय के द्वारा उक्त नियमों को अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपसे प्रति दर्गपीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्बलियों या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवहार द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को क़ास्ति किसी भी प्रकार की नुक़सानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : ता. 11951
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88-88 वर्ग गज

सीमा पूर्व ROAD 30' 5" सीमा पश्चिम P.No-403
सीमा उत्तर P.No-417 सीमा दक्षिण P.No-415 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 416

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दस्ता में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 के दिन
श्री भोम प्रकाश विश्नोई
P.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम L.C.
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोनधारक - दिनेश शर्मा

साक्षी :-

- नाम विजय शर्मा
पिता/पति का नाम एच. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकालटेन्ट सहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7, चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:14 PM

Fee Receipt No : 202002063000203 Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA Address : 11 B, SARDARPURA, JOODHPUR Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent	Receipt Date : 14/01/2020 Document S. No. : 202001063000197	
--	--	--

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
-------------------	---------	------------------------	------------

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (H/M/Mode Number Amount #)
e-Gras Chalan 34581159 ₹ 300 # e-Gras Chalan 36008837 ₹ 10


Signature of presenter or applicant for copy or Sample Certificate
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6710
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जयसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मृतकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राग तमावडा

के खसत संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेरागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्त्या द्वारा ऐसे अर्थों पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, ब्यावस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, ब्यावस्थायक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्विष्ट की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में भव में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूरा दरतावेज के आधार पर दुर्ब्यवस्था द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षण बँक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20' x 40' = 80.88 वर्ग मी.

सीमा पूर्व ROAD 30' E सीमा पश्चिम P.No-402
सीमा उत्तर P.No-418 सीमा दक्षिण P.No-416 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 417

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 — माह के — वें दिन
श्री भोम प्रकाश बिष्ट
P.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

—
नगर निकाय - प्रभारक
(सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर/ई-सील)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय —
निवास स्थान —
- नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के — वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
सौजनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

—
सौजनधारक - विनोद पटेल

साक्षी :-

- नाम स्व. राजा राम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकअटेंड लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

—
मुख्य अधिकारी, लुणा

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 2:41 PM

Fee Receipt No.	: 202002063000185	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 202001063000179
Address	: 11-B SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a free or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent.		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 34581094 ₹ 300 # e-Gra Chalan 36007746 ₹ 10

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Dasthar



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिशुद्ध करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को हारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंध रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : -
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88व.मी.

सीमा पूर्व ROAD 30' Lt सीमा पश्चिम P.No-401

सीमा उत्तर P.No-419 सीमा दक्षिण P.No-417 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 418

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

सुभाष चन्द्र
नगर निकाय प्रथम पंच
(सहम अधिकारी एवं निरीक्षक/सिग्नाचर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौबधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौबधारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूणी

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-01-2020 4:20 PM

Fee Receipt No	: 202002063000204	Receipt Date	: 14/01/2020
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No	: 202001063000198
Address	: 11-B, SARDARPURA, JOOHPUR, JOOHPUR		
Document Type	: Lease granted for a five or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 15	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 14	Stamp Duty	: ₹ 71
Penalty	: ₹ 10	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 310
		Total Amount	: ₹ 310

Mode of Payment (Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 34591130 ₹ 300 # e-Gras Challan 36028694 ₹ 113

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6712
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जोधपुर निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वरिष्ठ अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरी जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरी के अधीन स्वशेददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रहेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरे **नामिक** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्लि या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दश रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई भवगत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वशूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरभिसंधि या उक्त उल्लंघन में सम्पटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्भावप्रधान द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

करबे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तन्नावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
21x40=88.88 वर्ग

परिशिष्ट
 ROAD
 सीमा पूर्व : 30' 11" सीमा पश्चिम P.No-400
 सीमा उत्तर P.No-420 सीमा दक्षिण P.No-418 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 419

इसके साक्षी के रूप में इसके फरौकन ने इसके बाद प्रत्येक दस्ता में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 के दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

Sh
 उपस्थित है (नगर निकाय - प्रथम पक्ष)
 जोधपुर निकाय प्रभारी अधिकारी
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

Sh
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 सौजन्यकारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

Sh
 सौजन्यकारक

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

for
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम भित्तिन मोदी
 पिता/पति का नाम उमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकालटेन्ट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Sh
 साक्षी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, लूपी